

न्यायालय कॉमर्शियल कोर्ट संख्या-02, आगरा

इजराय वाद संख्या- 22/2025

मै० डागा ट्रेडिंग कंपनी प्रा० लि०

बनाम

मै० मागो कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०

02.07.2026

पत्रावली प्रस्तुत। डिक्रीधारक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रकरण को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु मध्यस्थता केन्द्र/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा को संदर्भित किया गया था।

मध्यस्थता केन्द्र द्वारा आख्या 28 ग प्रेषित की गई है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता की कार्यवाही सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है तथा विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया है। इसके अतिरिक्त डिक्रीधारक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है तथा मौखिक रूप से पूर्ण संतुष्टि का भी कथन किया गया है। मध्यस्थता सफल हो जाने के उपरांत प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार की अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। अतः मध्यस्थता केन्द्र की आख्या 28 ग के आधार पर प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

Sd/-

पीठासीन अधिकारी

कॉमर्शियल कोर्ट सं०-02, आगरा